



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 156/ 2026

कलावती

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – प्रमोद कुमार तिवारी, श्रीमती उषा तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 19

माननीय न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी

- दिनांक 09.03.2026 के आदेश के अनुपालन में, श्री सुधीर कुमार, उपजिलाधिकारी, तहसील-मिल्कीपुर, जनपद- अयोध्या व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।
- उपजिलाधिकारी द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया दिनांक 16.03.2026 का एक शपथ पत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
- उक्त शपथ पत्र के माध्यम से, उप जिलाधिकारी ने इस न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय को पूर्ण निर्देश उपलब्ध न कराने के लिए बिना शर्त क्षमा मांगी है। उक्त शपथ पत्र में यह कहा गया है कि संबंधित अधिकारी का न्यायालय को गुमराह करने का कोई आशय नहीं था और न ही वह कभी ख्वाब में भी ऐसा कर सकता है।
- उक्त शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या 7 में यह कहा गया है कि याचिका के लंबित होने का तथ्य अधिकारी के संज्ञान में दिनांक 23.02.2026 को आया और उन्होंने तत्काल क्षेत्र लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को निर्देश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तैयार करने और उन्हें मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी ओर से निर्देश उपलब्ध नहीं कराए गए और इस प्रकार मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में समय पर निर्देश उपलब्ध नहीं कराए जा सके। शपथ पत्र में आगे कहा गया है कि क्षेत्र लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को दिनांक 12.03.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

5. राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने उपजिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कहा है कि दिनांक 03.11.2025 के आदेश के विरुद्ध उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के अंतर्गत एक वैधानिक अपील दायर की गई है और वह कलेक्टर, अयोध्या के समक्ष वाद संख्या डी202504230007196 के रूप में निर्णय के लिए लंबित है और उक्त अपील में अगली नियत तिथि 27.03.2026 है।

6. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित दिनांक 03.11.2025 के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्यवाही, विद्वान कलेक्टर, अयोध्या के समक्ष लंबित उपरोक्त अपील के परिणाम तक प्रतीक्षित है।

7. वाद के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत यह रिट याचिका विद्वान कलेक्टर, अयोध्या (विपक्षी संख्या 2) को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वे उक्त अपील का तत्परतापूर्वक और विधि के अनुसार कठोरतापूर्वक उस अवधि के अंतर्गत निर्णय लें जैसा कि उ.प्र. राजस्व न्यायालय नियमावली के खंड 457 (II) में विहित है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति सैयद क्रमर हसन रिज़वी)

16 मार्च, 2026

वीरेन्द्र